

परिपत्र

निरीक्षण सामान्यतया न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों अनुसार ही किये जावे, यदि विशिष्ट परिस्थितियों में इसके कोई शिथिलता लेनी हो तो मुख्यालय स्तर से स्वीकृति आवश्यक है, अतः निरीक्षण पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्यवाही की जावे। किसी भी परिस्थिति में पर-परागित, संकर बीज उत्पादन एवं आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम के प्रथम निरीक्षण को ही अंतिम निरीक्षण नहीं किया जावे। इस परिपत्र का सख्ती से पालन किया जावे, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

Sd/
निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, मुख्यालय।
2. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी (गुण नियंत्रण)/जैविक/समस्त इकाई (जयपुर, श्रीगंगानगर, सुरतगढ़, हनुमानगढ़, कोटा, भरतपुर)
3. उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी प्रथम/द्वितीय/समस्त इकाई (घड़साना, पीलीबंगा, बांरावाडा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, खेडली, अलवर, अजमेर)
4. समस्त सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

निदेशक